ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की जनसुनवाई, लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को कनवास में जनसुनवाई की। मंत्री नागर ने सुबह 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार जनसमस्याएं सुनी। जनसुनवाई में 364 परिवाद आए। मंत्री नागर ने मौजूद अधिकारियों को एक-एक कर बुला कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में सावन भादो के सरपंच की ओर से वीडीओ के काम में लापरवाही बरतने की शिकायत की गई। जिस पर वहां दूसरा वीडीओ लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और विमुक्त परिवारों के लोग पट्टा देने के लिए आकर मिले। जिस पर मंत्री हीरालाल नागर ने मौजूद अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक सभी पंजीकृत सभी घुमंतु परिवारों को राशन और पट्टा देने के निर्देश दिएं। धूलेट गांव के ग्रामीण शीतला माता मंदिर के पास धूलेट से नयागांव के बीच रोड पर बन रही पुलिया निर्माण में घटिया कार्य की शिकायत करने पहुंचे। जिस पर मंत्री हीरालाल नागर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर निर्माण कार्य की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी ठेकेदार है, उसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए।

कोटा मे ऊर्जा मंत्री ने जनसुनवाई में परिवाद सुनते हुए समाधान के निर्देश दिए हैं।

धूलेट गांव में ही तहसीलदार को अतिक्रमण हटाकर जीएसएस के लिए भूमि विद्युत विभाग को आवंटित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने स्कूल में टीचर्स के नहीं आने की शिकायत की। जिस पर मंत्री हीरालाल नागर ने डीईओ से बातकर खेलकूद में आवश्यकता से अधिक लगे टीचर्स को तुरंत हटाकर स्कूल में भेजने के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उप-प्रधान ओम नागर अडूसा, एसडीएम रामावतार, पंचायत समिति सदस्य महावीर मेरोठा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य त्रिलोक विजय, नरेंद्र मोहन गौतम, दुर्गाशंकर सुमन, विष्णु मालव, कौशल सोनी, बीडीओ कुशलदीप सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

पुरानी बिल्डिंग में चले प्राइमरी स्कूल:- धूलेट गांव के लोगों ने आकर मंत्री नागर को बताया कि धूलेट में मीडिल स्कूल की बिल्डिंग गांव से बाहर बन गई है। जबकि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल बंद कर दिया गया है। ऐसे में छोटे बच्चों को रोड़ पार करके स्कूल जाना पड़ता है। इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर पुरानी बिल्डिंग में ही प्राइमरी स्कूल चलाने के लिए निर्देशित किया। वहीं रोड़ पर पुलिया के नीचे पाईप डालकर बॉक्स कल्वर्ट डालकर रास्ता बनाने के निर्देश दिए। विषय को लेकर मंत्री हीरालाल नागर ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी से फोन पर बात की।

बीमा कंपनी को लगाई फटकार, क्रॉप कटिंग जल्दी करने के दिए निर्देश:- ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जनसुनवाई के दौरान बीमा को लेकर फसल खराबे की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को क्रॉप कटिंग और सर्वे का काम जल्द निपटाने के निर्देश दिए। मंत्री नागर ने कहा कि किसान जमीन की हकाई करें, उससे पहले तुरंत क्रॉप कटिंग का काम समाप्त होना चाहिए। कंपनी की शिकायत आने पर मंत्री नागर ने कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई और फोन कर संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी।

ट्रक ने वैन को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत

कोटा, (निसं)। नेशनल हाईवे 52 पर स्कूली टीचर्स को लेकर जा रही वैन को सोमवार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शिक्षिका की मौत हो गई जबकि चालक सहित चार लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान वैन पलट गई। जिसमें शिक्षिकाएं फंस गई। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। कनवास थाने की मौरूकलां चौकी के एएसआई पतराम ने बताया कि शिक्षिका अन्य टीचर्स के साथ वैन में बैठकर जा रही थी। इसमें पांच जने ड्राइवर समेत सवार थे। इस दौरान दरा घाटी से थोड़ा पहले हादसा हो गया। एक अज्ञात ट्रक ने पीछे से वैन को टक्कर मार दी। एएसआई पतराम ने बताया कि दुर्घटना के बाद महिला शिक्षिका को कॉमर्स कॉलेज चौराहा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था यहां उसने दम तोड़ दिया है। मृतका 56 वर्षीय ललिता छीपा पत्नी दिनेश चंद कोटा के विज्ञान नगर निवासी है। वहीं, अन्य घायलों में वैन ड्राइवर सैय्यद ओसाफ अली, शिप्रा, चंदना जैन और अब्दुल रजाक है, जो दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ट्रक और चालक की पड़ताल की जा रही है।

गुरुदेव आदित्य सागर का आरकेपुरम में मंगल प्रवेश

कोटा, (निसं)। सुंदर रंगोलियों से सजा विहार मार्ग, दूर से दिखती जैन पताका, गाजे-बाजे और गुरुदेव के जयकारों से गुंजता विहार मार्ग, हर्षोल्लास से नाचते-गाते जैन बंधु, गुरुदेव आदित्य सागर के मंगल प्रवेश से खुशियों का माहौल, गुरूदेव की अगवानी में बने भव्य तोरण द्वार, पादप्रच्छालन कराते लोग यह नजारा था श्रुतसंवेगी श्रमणरत्न मुनि आदित्यसागर मुनिराज ससंघ का जवाहर नगर से आरकेपुरम की ओर विहार किया। सकल समाज के अध्यक्ष विमल जैन नांता ने बताया कि वर्षायोग कर रहे मुनित्रय का अल्पकालीन प्रवास आर के पुरम के लिए 14 अक्टूबर के लिए हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर त्रिकाल चौबीसी आरकेपुरम के अध्यक्ष अंकित जैन व मंत्री अनुज जैन ने गुरुदेव की अगवानी के लिए भव्य तैयारियां की थीं। सोमवार प्रात:काल 07 बजे कोटा में विहार में सैकड़ों लोग गुरुदेव के साथ रहे। अध्यक्ष अंकित जैन ने बताया कि विहार मार्ग को सुंदर रंगोलियों से सजा रखा था। विहार मार्ग में 80 से अधिक तोरण द्वार बनाए गए थे। प्रात: 07 बजे गुरुदेव आदित्य सागर ससंघ विहार पर जैन धर्मावलंबियों के साथ निकले।

जैन पताका और गुरुदेव की चित्र तख्तियां लेकर जैन समाज के लोग विहार में जयकारे लगाते हुए निकल रहे थे। राजेंद्र गोधा व पारस बज ने बताया कि डीजे की धुन पर नाचते गाते ढोल बजाते लोग आगे बढ़े जा रहे थे। गुरुदेव अकलंक स्कूल, तीन बत्ती, संतोषी नगर सर्किल, टीवीसी सर्किल, बीएसएनएल सर्किल, डीपीएस स्कूल होते हुए आरकेपुरम जैन मंदिर पहुंचे। मार्ग में जगह-जगह अगवानी की गई और पाद प्रक्षालन करते दिखे। इस अवसर पर सकल समाज से संयोजक राजमल पाटोदी, कार्याध्यक्ष जेके जैन, मंत्री विनोद जैन टोरडी, चातुर्मास समिति से टीकम पाटनी, पारस बज, राजेंद्र गोधा, आरकेपुरम मंदिर समिति से पदम जैन, लोकेश बरमुंडा, चंद्रेश जैन कई लोग गुरुदेव के साथ विहार मार्ग में चलते रहे।

जिले को आदर्श राजस्व जिला बनाने के लिए कार्य करें : जिला कलेक्टर

झालावाड़ (निसं)। राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई।

जिला कलक्टर ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि राज्य स्तर से समस्त जिलों की राजस्व गतिविधियों एवं प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में झालावाड़ जिले को आदर्श राजस्व जिला बनाने के लिए राजस्व कार्यों एवं प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए तत्पर होकर कार्य करें।

उन्होंने जिन राजस्व अधिकारियों द्वारा फाईलों के निस्तारण में समय ज्यादा लग रहा है उन्हें अधिक से अधिक फाइलों को ई-फाईल के माध्यम से अग्रेषित करने तथा 5-6 घण्टे में फाइलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर कोई भी प्रकरण 10 दिन से ज्यादा की अवधि तक लम्बित न रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीजी सेल के माध्यम से प्राप्त ऑफलाईन शिकायतों का भी त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाले फसल खराबे की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में काश्तकारों को संतोषपूर्ण जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटवाने की कार्यवाही करें। साथ ही खातेदार द्वारा अगर किसी कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो संबंधित खातेदार को उस भूमि पर से गैर कृषि कार्य को बंद करने का नोटिस दें अन्यथा उस भूमि को सिवायचक में दर्ज किया जाएगा।

जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को उनके न्यायालयों में 5 से 10 साल पुराने लम्बित चले आ रह राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कुर्क व नीलामी वाले प्रकरणों की भी सूची बनाएं तथा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्धर्घुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड व पट्टा वितरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपखण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार के मुआवजा वितरण से संबंधित लम्बित चल रहे मामलों के निपटारे में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश समस्त उपखण्ड अधिकारियों को दिए। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में पात्र लोगों के नाम जोड़ने सहित नाम हटाने, संशोधन कराने सहित अन्य कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी से शेष 17510 किसानों की ई-केवाईसी करवाने तथा 7865 किसानों की आधार सीडिंग के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसान अपने क्षेत्र की संबंधित तहसील में सम्पर्क कर 10 अक्टूबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किए जा रहे कैम्पों में उक्त कार्य करवा सकते हैं।

बैठक में भूमि अवाप्ति के मामलों, नामान्तकरण, सीमा ज्ञान, सहमति से विभाजन, इजराय, एलआर एक्ट, धारा 251, धारा 251ए, धारा 136 सहित 16 व 17 सीसीए के तहत चल रहे प्रकरणों पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश समस्त उपस्थित राजस्व अधिकारियों को दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यनारायण आमेटा, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भुदयाल मीणा सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

समाज कल्याण सप्ताह आज से

कोटा, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक होगा। इसका उद्देष्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विषेष योग्यजन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध जनचेतना जाग्रत है। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सविता कृष्णिया ने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत एक अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, सात अक्टूबर को समापन होगा।

AU SMALL FINANCE BANK

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.
www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **07 Oct 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

BANSWARA - 23660002354118 | **BASSI** - 24660000511686 | **BHILWARA** - 23660002368872 | **BIKANER** - 24660000441167 | **CHITTORGARGH** - 23660002377874 | **JAIPUR - QUEENS ROAD** - 23660002332270 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 23660002362433 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 23660002352552 | **KOTA -GHODE WALA CIRCLE** - 23660002351523 23660002391587 | **RATANGARH** - 23660002400013 | **SAGWARA** - 23660002381236 | **UDAIPUR - MADHUBAN** - 23660001360643 23660002004028 24660000921674 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-
Manager
AU Small Finance Bank Limited

पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई

कोटा, (निसं)। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथी पर उनकी मूर्ति छावनी चौराहे पर माल्यार्पण कर श्रद्धाजंलि व भोजन वितरण का कार्याक्रम रखा गया। जिसमे अथिति के रूप मे किशन पाठक, क्षेत्रीय सचिव भारत विकास परिषद व पंकज मेहता, वरिष्ठ नेता भाजपा व पूर्व उपाध्यक्ष खादी बोर्ड उपस्थित रहे। यह जानकारी देते हुए भाजपा नेता व महाराज माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह हनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कैलाशवासी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई तथा उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया व भोजन के पैकेट वितरित किये गए हैं।

सफाई व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ व सुचारू बनाने के निर्देश दिए

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी द्वारा दीपावली त्यौहार व आगामी समय मे कोटा मे वीआईपी विजिट के तहत सफाई व्यवस्था को और भी ज्यादा सुचारू व सुदृढ़ बनाने के संबंध में संबंधित अनुभागों को निर्देश जारी किए गए है। निगम उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि सफाई व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ व सुचारू बनाने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों को मुख्य मार्गों की सफाई और बेहतर रूप से करवाए जाने व समस्त कचरा पॉइंटो से समय पर कचरा उठवाने व उसका निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि कचरा पॉइंट से समय पर कचरा उठे इसके लिए संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही समय पर कचरा निस्तारण ना होने पर संवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। निगम के कनिष्ठ अभियंताओ को निर्देशित किया गया है कि वो अपने संबंधित क्षेत्र मे कचरा पाए जाने पर उसका फोटो खींचकर संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षक को मोबाइल के जरिए भेजेंगे। ताकि संबंधित निरीक्षक तत्काल सक्रिय होकर कचरे का निस्तारण करवा सकें। आयुक्त त्यागी द्वारा गैरिज अनुभाग को निर्देश दिए गए है कि सफाई व्यवस्था से संबंधित आवश्यक संसाधनो को समय पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाऐं। ताकि किसी भी जगह से कचरा निस्तारण शीघ्र किया जा सकें। साथ ही उन्होने मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को आदेशित किया है कि सफाई व्यवस्था का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और किसी भी प्रकार की सफाई संबंधी कमी पाए जाने पर तत्काल ही उसका निस्तारण करवाया जाए। निगम के अधिशाषी अभियंता व सहायता अभियंताओ को भी निर्धारित अपने-अपने वार्डो में सफाई व्यवस्था के सघन निरीक्षण की जिम्मेदारी आयुक्त द्वारा सौंपी गई है। निरीक्षण के दौरान यदि उन्हे सफाई से संबंधित कोई कमी मिले तो उसकी भरपाई और समस्या का तत्काल निस्तारण करवाएंगे। संबंधित अधिकारियो को यह भी निर्देश दिए गए है कि वो अपने-अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट प्रतिदिन शाम को आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

क्षेत्र के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी : सिंघवी

छबड़ा (निसं)। कस्बेवासियों की दो रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनाने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई हैं। सांसद दुष्यंतसिंह एवं पूर्व मंत्री व विधायक प्रतापसिंह सिंघवी द्वारा लंबे अरसे से किए जा रहे अथक प्रयासों से गुगोर फाटक व हनुवतखेड़ा फाटक पर रेलवे मंत्रालय द्वारा ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दी हैं। इन आरओबी के निर्माण से राजस्थान व मध्यप्रदेश के लोगों के लिए यातायात सुगम हो जाएगा। लंबे समय से इन स्थानों पर आरओबी निर्माण के लिए आवाज उठ रही थीं।

लंबे इंतजार के बाद छबडा में दो रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आरओबी के निर्माण से अब रेलवे क्रासिंग पर हर घंटे लगने वाले जाम में एंबुलेंस व स्कूल वाहन भी नहीं फंसेंगे। छबड़ा-गुगोर रेलवे फाटक पर आरओबी बनने से आंचोली, महेशपुरा, गणेशपुरा, गुगोर, कडैयावन, कोटडी, किशोरपुरा, खातोली, मूण्डला, शेखापुर, बालापुरा, हलगना, खेडी, हलेसरा सहित एमपी के लोगो का आवागमन सुगम होगा। वही, हनुवतखेड़ा फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण से चांचौड़ा, भुआखेड़ी, जैपला, भीलवाडानीचा, कोटड़ापार, तीतरखेडी, बापचा, भूलोन आदि कई पंचायतो के लोगो को राहत मिलेगी। वही, थर्मल प्लांट से निकलने वाले भारी वाहनों के कारण लगने वाली जाम की समस्या से कस्बेवासियों को राहत मिलेगी।

छबड़ा में विधायक सिंघवी का स्वागत किया गया।

विधायक सिंघवी ने बताया कि अंधेरी सिंचाई परियोजना तहसील छबडा के लिए 830 करोड रुपये स्वीकृत हुए है। अंधेरी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अंधेरी नदी पर बांध बनाकर 45,294 मिघमी जल का भण्डारण कर छबड़ा एवं छीपाबड़ोद तहसील के 53 ग्रामों के 9850 हेक्टेयर भूमि पर फव्वारा आधारित पद्धित से किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। तहसील छबड़ा में पार्वती नदी पर गुगोर एनीकट निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ व कछावन एनीकट निर्माण कार्य के लिए 37 करोड स्वीकृत किए है।

वही, ऊतावली लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहरों का जीर्णोद्वार कार्य के लिए 7 करोड रुपये स्वीकृत किए है, इससे नहरो के जीर्णोद्वार पश्चात् सम्पूर्ण सिंचित क्षेत्र में सुगमता से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार ग्राम पाटडी एमएसटी निर्माण कार्य के लिए 5 करोड रुपये स्वीकृत किए है।

इस एमएसटी के निर्माण के पश्चात संग्रहित जल वर्ष भर वहां के लोगों को सिंचाई एवं पशु पेय हेतु उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी।

क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगाते मिलने के बाद पहली बार छबडा पहुंचे विधायक सिंघवी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया। यहाँ ढोल की थाप पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर सिंघवी का स्वागत सम्मान कर आभार जताया। कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए सिंघवी ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जरूरत के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र को लगातार सौगाते दी जा रही है।

सिंघवी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास हमारा ध्येय वाक्य है। डबल इंजन सरकार जन- जन तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इस अवसर पर बडी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2024-25/100768 **लोक सूचना** दिनांकः 30.09.2024

श्री ISHAWAR LAL SAINI पुत्र श्री GHASI LAL जाति MALI निवासी A/R-86 SECTOR-A RK PURAM KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम व तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	26	4800	0.48
2.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	8	26500	2.65
3.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	92/9	500	0.05
4.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	93/9	1800	0.18
5.	सुखपुरा, लाडपुरा (कोटा)	LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SARKARI SCHOOL KES PASS TEKHADA KOTA	9 PART	800	0.08
6.	राजनगर (नयानोहरा) लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	510	1200	0.12
7.	राजनगर (नयानोहरा) लाडपुरा (कोटा)	1-KALU LAL S/O BHERU LAL 2-GAJANAND S/O BHERU LAL 3-CHOUTHAMAL S/O BHERU LAL 4-LATUR LAL S/O BHERU LAL CASTE - MEENA SA- TEKHADA KHATEDAR	511	2100	0.21
8.	राजनगर (नयानोहरा) लाडपुरा (कोटा)	NISHA MEHRA D/O NARSINGH LAL MEHRA CASTE - MEHRA SA 1-T-8 TALWANDI KOTA KHATEDAR	468	1900	0.19
9.	राजनगर (नयानोहरा) लाडपुरा (कोटा)	NISHA MEHRA D/O NARSINGH LAL MEHRA CASTE - MEHRA SA 1-T-8 TALWANDI KOTA KHATEDAR	472	6500	0.65
				कुल	4.61

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30.09.2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-364 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-30.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीनाथपुरम-बी आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 799 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 30.04.1997 को श्री कृष्ण मुरारी पुत्र श्री शिव सिंह द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती यशोदा बाई पत्नी श्री द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2024 को श्री अजय कुमार नागर पुत्र श्री प्रेमबिहारी नागर को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 799 योजना श्रीनाथपुरम-बी आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री अजय कुमार नागर पुत्र श्री प्रेमबिहारी नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1386 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-30.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की बसंत बिहार केशवपुरा-9 योजना के भूखंड/आवास संख्या 673 का आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 04.11.1985 को श्री सुरेश कुमार स्वामी पुत्र श्री लोमन दास को किया गया। आवंटी श्री सुरेश कुमार स्वामी पुत्र श्री लोमन दास द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री राजेश कुमार झमटानी पुत्र श्री इन्द्र कुमार झमटानी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.16 को श्रीमती दीपा झमटानी पत्नी श्री राजेश कुमार झमटानी को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 674 योजना बसंत बिहार केशवपुरा-9 का नाम हस्तान्तरण श्रीमती दीपा झमटानी पत्नी श्री राजेश कुमार झमटानी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1231 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-30.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल योजना के भूखंड/आवास संख्या 59 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 05.12.2000 को मै. हिन्द मोटर्स प्रो. श्री अमर चंद चितलांगिया पुत्र श्री चांदमल को किया गया था। श्री अमर चंद चितलांगिया की मृत्यु दिनांक 23.10.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती सावित्रि माहेश्वरी पत्नी स्व. श्री अमर चंद चितलांगिया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 59 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सावित्रि माहेश्वरी पत्नी स्व. श्री अमर चंद चितलांगिया के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1233 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-30.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल योजना के भूखंड/आवास संख्या 66 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 05.12.2000 को मै. अशोका ऑटोमोबाइल प्रो. श्री अमर चंद चितलांगिया पुत्र श्री चांदमल को किया गया था। श्री अमर चंद चितलांगिया की मृत्यु दिनांक 23.10.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती सावित्रि माहेश्वरी पत्नी स्व. श्री अमर चंद चितलांगिया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 66 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल का नाम हस्तान्तरण श